39

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2418–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2016 पारित द्वारा तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी प्रकरण कमांक 50/अ–27/2015–16.

1– तुकाराम पिता बाऊ भीलाला
निवासी ग्राम गुजरबावड़ी
तहसील भगवानपुर जिला खरगोन
2– लोण्या पिता बाऊ भीलाला
निवासी ग्राम लिंगवा
तहसील राजपुर जिला बड़वानी ....आवेदकगण

विरूद्ध

1– नत्थू पिता बाऊ भीलाला
2– ऊंकार पिता बाऊ भीलाला
निवासीगण ग्राम लिंगवा
तहसील राजपुर जिला बड़वानी ....अनावेदकगण

श्री जितेन्द्र जाधव, अभिभाषक, आवेदकगण
कु0 विनीता कुरार, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/8/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी के समक्ष संहिता की धारा 178 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा उभय पक्ष के मध्य स्वत्व के आधार पर चाहा गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 50/अ–27/2015–16 दर्ज कर दिनांक 21–6–2016 को

पटवारी से 1/4 – 1/4 फर्द बटवारा प्राप्त करने के आदेश दिये गये । तहसीलदार के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तक में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) इस प्रकरण में कानूनी प्रश्न यह है कि आवेदकगण द्वारा तहसील न्यायालय के समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 8 नियम 6 के अन्तर्गत प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था कि प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व व हक नहीं है तथा आवेदक कमांक 2 को गनिया तथा रायमल द्वारा उनके हिस्से की भूमि उनके जीवनकाल में दी गई थी तथा आवेदक कमांक 2 का कब्जा विगत 30 वर्षों से मालिक नाते चला आ रहा है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय को आवेदकगण को अपना दावा सिद्ध करने हेतु साक्ष्य का अवसर देकर बटवारे प्रकरण का निराकरण करना चाहिए था ।

(2) प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदकगण का कोई स्वत्व एवं हक नहीं है, अतः प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित होने के कारण तहसील न्यायालय को संहिता के प्रावधानों के अन्तर्गत बटवारे की कार्यवाही स्थगित कर अनावेदकगण को दीवानी न्यायालय से स्वत्व का निराकरण कराये जाने के निर्देश देना चाहिए था ।

(3) अनावेदकगण का आवेदन पत्र दो बार निरस्त हो चुका है, इसलिए प्रांग न्याय सिंद्धान्त की बाधा आती है ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) बाउ (मृत) मूल पुरूष होकर उसकी चार संताने तुकाराम, नथ्या, उंकार एवं लोण्या हैं, जो कि चारों सगे भाई हैं ।

(2) आवेदकगण का यह आधार सही नहीं है कि मृतक गनिया आवेदक कमांक 2 लोण्या को पुत्र समान मानता था, इसलिए अपने हिस्से की भूमि उसे बटवारे में दी, और यह आधार भी गलत है कि रायमल की पत्नी एवं पुत्र का कियाकर्म आवेदक कमांक 2 द्वारा किया गया तथा रायमल द्वारा भी अपने हिस्से की भूमि उसे दी गई ।

(3) आवेदकगण का रेस्ज्यूडीकेटा सम्बन्धी आधार भी सही नहीं है क्योकि प्रथम बार प्रकरण मृतक नामान्तरण के लिए आवेदन करने की व्यवस्था के कारण निरस्त हुआ था तथा दूसरी बार एकपक्षीय कार्यवाही हुई है । चूंकि पक्षकार प्रकरण की पैरवी के लिए

अभिभाषक नियुक्त करता है, और अभिभाषक की गलती के लिए पक्षकार को दोषी नहीं माना जा सकता है ।

(4) अनावेदकगण को उनकी भूमि का बटवारा कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है । जहां तक तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में कार्यवाही स्थगित किये जाने सम्बन्धी आधार का प्रश्न है, तहसील न्यायालय द्वारा 90 दिन का समय पूर्व में दिया जा चुका है, और यदि बटवारा स्वत्व के आधार पर कराने में आवेदकगण को आपत्ति थी तो उन्हें सक्षम न्यायालय में वाद प्रस्तुत कर स्थगन आदेश प्राप्त करना चाहिए था ।

5/ उभय पक्ष द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदकगण अभिलिखित खातेदार हैं, अतः उन्हें प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा कराने का हक है । अभिलेख से यह भी स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा पूर्व में 90 दिन का समय दिया जा चुका है, किन्तु कोई भी पक्ष सक्षम न्यायालय में स्वत्व का निराकरण कराने हेतु वाद दायर नहीं किया गया है, और न ही सक्षम न्यायालय से कोई स्थगन प्राप्त किया गया है । तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का विधिवत निराकरण करते हुए आपत्ति निरस्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है। इस प्रकार तहसील न्यायालय का आदेश वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, राजपुर जिला बड़वानी द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–6–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर